POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 08.03.2026

2. थाना बिसरख पुलिस द्वारा फर्जी वीजा तैयार कर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 08 पासपोर्ट, 90 विजिटिंग कार्ड, 24 फर्जी वीजा (फोटो कापी), 06 वीजा खाली लिफाफा, 37 SKY VISA VENTURE लेटर पैड, एक फर्म रजिस्ट्रेशन, 02 फर्म सर्टिफिकेट, 02 कूट मोहर, 03 मोबाइल व 47000 रूपये नगद बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07.03.2026 को वादी द्वारा थाना बिसरख पर तहरीर देकर सूचना दी गई कि अभियुक्तगण सक्षम शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा व राजीव शर्मा उर्फ सुरेन्द्र द्वारा गौर सिटी मॉल में SKY VISA VENTURE की ऑफिस खोलकर कॉलिंग व अन्य माध्यम से सम्पर्क में आये लोगो को विदेश भेजने के नाम पर वर्क वीजा तैयार कराने का भरोसा देकर उनसे उनका पासपोर्ट प्राप्त कर फर्जी कूटरचित वीजा तैयार करके व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों को भेजे गये थे। इस तरीके से अभियुक्तगण द्वारा कई लोगों के साथ लाखों रूपये की ठगी की गई। घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 162/2026 धारा 31(4),338,336(3),340(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में कई गठित टीम की गई। दिनांक **08.03.2026** को **थाना बिसरख पुलिस टीम** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से अभियुक्त सक्षम शर्मा उर्फ बिट्टू पुत्र पालाराम को साई नर्सरी के सामने ATS रोड़ थाना क्षेत्र बिसरख से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 08 पासपोर्ट, 90 विजिटिंग कार्ड, 24 फर्जी वीजा (फोटोकापी), 06 वीजा खाली लिफाफा, 37 SKY VISA VENTURE लेटर पैड, एक फर्म रजिस्ट्रेशन, 02 फर्म सर्टिफिकेट, 02 कूट मोहर, 03 मोबाइल व 47 हजार रूपये नगद बरामद हुए है। अभियुक्त के अन्य साथी राजीव शर्मा उर्फ सुरेन्द्र की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित है।

अपराध का तरीका– अभियुक्त सक्षम शर्मा उर्फ बिट्टू व राजीव शर्मा उर्फ सुरेन्द्र द्वारा गौर सिटी मॉल में SKY VISA VENTURE की ऑफिस खोलकर (बिट्टू द्वारा अपना फर्जी नाम सक्षम शर्मा तथा सुरेन्द्र द्वारा अपना फर्जी नाम राजीव शर्मा बताकर) कॉलिंग व अन्य माध्यम से सम्पर्क में आये लोगो को विदेश (फिनलैण्ड, पॉलैण्ड, रुस) भेजने के नाम पर वर्क वीजा तैयार करने का भरोसा देकर उनसे उनका पासपोर्ट प्राप्त कर लिया जाता है तथा प्रत्येक ग्राहक से 80 हजार से 01 लाख रूपये की फीस तय कर रकम वसूलते है तथा कुछ लोगो के साथ विदेश भेजने तथा नौकरी की गारण्टी देने के एग्रीमेंट भी तैयार किये गये है। ग्राहकों के द्वारा वीजा व अपना पासपोर्ट मांगे

जाने पर अभियुक्तगण के द्वारा फर्जी कूटरचित वीजा तैयार कर ग्राहकों को उनके फोन पर भेज जाते थे जिनकी ग्राहकों के द्वारा सम्बन्धित एम्बेसी से जानकारी करने पर पता करने पर वीजा फर्जी व कूट रचित पाये गये है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त सक्षम शर्मा उर्फ बिट्टू द्वारा बताया गया कि वह लोगो को विदेश भेजने के नाम पर फर्जी वीजा आदि तैयार करने का काम करता था जिसके सम्बन्ध में पूर्व में थाना मेडिकल जनपद मेरठ तथा पानीपत हरियाणा में भी मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्तगण द्वारा मिलकर सैंकडों लोगो के साथ लाखो रूपये की ठगी की गई है।

अभियुक्त का विवरण-- सक्षम शर्मा उर्फ बिट्टू शर्मा पुत्र पालाराम निवासी ग्राम औंगद थाना निशिंग जिला करनाल हरियाणा

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 84/2022 धारा 406,419,420,467,468,471 भादवि थाना मेडिकल, जनपद मेरठ।
2. मु0अ0सं0 162/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस थाना बिसरख कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण–

1. 47 हजार रूपये नगद
2. 90 विजिटिंग कार्ड
3. 06 वीजा खाली लिफाफा
4. एक फर्म रजिस्ट्रेशन
5. 02 कूट मोहर
6. 08 पासपोर्ट
7. 24 फर्जी वीजा (फोटो कापी)
8. 37 SKY VISA VENTURE लेटर पैड
9. 02 फर्म सर्टिफिकेट
10. 03 मोबाइल

2. थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा मोबाइल फोन स्नैच व चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से स्नैच व चोरी किये गये 06 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल व एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08-03-2026** को **थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्टॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोबाइल फोन स्नैच व चोरी करने वाला एक अभियुक्त अरुण पुत्र रामजीवन थाना सेक्टर-113 क्षेत्र से **गिरफ्तार** एवं एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। इनके कब्जे से 06 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के, घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल रजि नं0 UP16DF4614 व एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि यह दोनो मिलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर नोएडा क्षेत्र में राह चलते लोगो से मोबाइल फोन स्नैच और चोरी करते है तथा छीने व चोरी किये गये मोबाइल फोन को मजबूरी बताकर राह चलते व्यक्तियों को ओने-पौने दामों में बेच देते है। इनके द्वारा एक मोबाइल फोन कुछ दिन पूर्व सेक्टर-119 नोएडा में ऑटो से चोरी किया गया था जिसे बेचकर इनके द्वारा पैसे आपस में बांट लिये गये थे।

अभियुक्त का विवरण--

अरुण पुत्र रामजीवन निवासी ग्राम कृपालपुर, थाना संडीला, जिला हरदोई वर्तमान पता ग्राम होशियारपुर, थाना सेक्टर-49, नोएडा उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 06 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी के
2. घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल रजि नंबर UP16DF4614
3. अभियुक्त अरुण के कब्जे से एक अवैध चाकू

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 44/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 70/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।

3. थाना फेस-2 पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध शस्त्र व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **08.03.2026** को **थाना फेस-2 नोएडा पुलिस** द्वारा गोपनीय सूचना की सहायता से एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर चोरी करने वाले 02 अभियुक्त 1.जावेद पुत्र अनवर 2.शहजाद उर्फ मनीष पुत्र रहीसुद्दीन को मैट्रो स्टेशन सेक्टर-81 नोएडा को **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस, 01 अवैध चाकू व घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16EA7017 (सीजशुदा) बरामद हुयी है।

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी है, जो NCR क्षेत्र में खाली बंद कंपनियों की रैकी करके मौका पाकर रात में चोरी करते है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. जावेद पुत्र अनवर मूल पता मौहल्ला इस्लामिया, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता कालंदर कॉलोनी, दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली उम्र 36 वर्ष।
2. शहजाद उर्फ मनीष पुत्र रहीसुद्दीन मूल पता ग्राम दुजाना, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर वर्तमान पता शालीमार गार्डन, थाना शालीमार गार्डन, गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभि0 जावेद--**

1. मु0अ0सं0 157/2025 धारा 303(2) BNS थाना छतारी, जिला बुलन्दशहर।

2. मु0अ0सं0 349/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना छतारी, जिला बुलन्दशहर।

3. मु0अ0सं0 165/2025 धारा 109(1)/3(5)BNS व 3/25/28 आर्म्स एक्ट थाना छतारी, जिला बुलन्दशहर।

4. मु0अ0सं0 253/2025 धारा 318(4)/318(2) BNS थाना मंसूरी, जिला गाजियाबाद।

5. मु0अ0सं0 569/2024 धारा 318(4)/318(2) BNS थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

6. मु0अ0सं0 603/2024 धारा 305 BNS थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

7. मु0अ0सं0 626/2024 धारा 317(5)/109 BNS व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

8. मु0अ0सं0 123/2023 धारा 380 IPC थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

9.मु0अ0सं0 281/2023 धारा 380/457 IPC थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

10.मु0अ0सं0 048/2022 धारा 8(B)20/21/27 NDPS थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

11.मु0अ0सं0 575/2022 धारा 406/420 IPC थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

12.मु0अ0सं0 580/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

13.मु0अ0सं0 287/2023 धारा 406 IPC थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

14.मु0अ0सं0 411/2023 धारा 392 IPC थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

15.मु0अ0सं0 413/2023 धारा 307 IPC व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

16.मु0अ0सं0 001/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

17.मु0अ0सं0 189/2024 धारा 414 IPC व 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।

18.मु0अ0सं0 396/2024 धारा 305 BNS थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

19.मु0अ0सं0 430/2024 धारा 303(2) BNS थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

20.मु0अ0सं0 114/2026 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

- **अभि0 शहजाद उर्फ मनीष--**

1. मु0अ0सं0 043/2024 धारा 379 IPC थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 51/2024 धारा 379 IPC थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 126/2024 धारा 411/413/414 IPC थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0 428/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0 114/2026 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना फेस-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. अभि0 शहजाद उर्फ मनीष के कब्जे से 01 अवैध चाकू
2. अभि0 जावेद के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
3. घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल रजि0 नं0 UP16EA7017